उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–1
संख्या–3903/दो–1–2015–19/1(14)/2011टीसी
लखनऊ: दिनांक 08 अक्टूबर, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर लिये गये निर्णय के आधार पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप संख्या–12011/03/2008–स्था(भत्ता), दिनांक 02 सितम्बर, 2008 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को संतान शिक्षा भत्ता तथा शिक्षा शुल्क, जो अलग–अलग देय थे, को विलीन करते हुए संतान शिक्षा भत्ता योजना कतिपय शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन लागू की गई है। भारत सरकार के आदेश संख्या–20011/5/2008–ए0आई0एस0–II, दिनांक 08 सितम्बर, 2008 द्वारा उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02 सितम्बर, 2008 में स्वीकृत लाभों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिये भी लागू किया गया है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य उक्त सुविधा के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कतिपय दिशा–निर्देश एवं स्पष्टीकरण भी निर्गत किये गये हैं।

2– भारत सरकार के आदेश/कार्यालय ज्ञाप संख्या–12011/03/2008–स्था(भत्ता), दिनांक 02 सितम्बर, 2008 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये लागू की गयी उक्त "संतान शिक्षा भत्ता योजना" को भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य किये जाने वाले संशोधनों/स्पष्टीकरण/दिशा–निर्देशों के अधीन, प्रदेश सरकार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए भी तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

3– उक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0 संख्या–जी–1–445/दस–2015, दिनांक 24.09.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–3903(1)/दो–1–2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– इरला चैक अनुभाग(वे0प0प्र0), उत्तर प्रदेश शासन।
8– वित्त(सामान्य) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
9– अनुभागीय आदेश पुस्तिका/विभागीय वेबसाइट।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।